संख्या- 4/2019/618/77-2-2019-4(बजट)/2018

प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–बी0एस0जी0-04/बजट/2019-20, दिनांक 02-5-2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जो अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत मानक मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4058 में चालू प्रकृति की योजनाओं/कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए कुल बजट प्राविधानित धनराशि रू0-11,10,78,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ दस लाख अट्हत्तर हजार मात्र) में से धनराशि रू0-33,95,000/- (रूपये तैतीस लाख पच्चानबे हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019, जो समस्त विभागाध्यक्षों को पृष्ठांकित है, में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण मासिक आधार पर शासन एवं महालेखाकर कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजी लेखा) की सुसंगत मानक मदों, जिनका विवरण/वर्णन संलग्नक में किया गया है, के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-618(1)/77-2-2019-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर।
7- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।